भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2211
गुरूवार, 18 दिसम्बर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

राज्यों को सहायता

2211 श्री संजय सेठ:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता" (एसएएससीआई) योजना का प्राथमिक कार्यनीतिक उद्देश्य क्या है और यह किस प्रकार सरकार के दीर्घकालिक पर्यटन दृष्टिकोण के अनुरूप है;

(ख) यह योजना कम प्रसिद्ध लेकिन उच्च क्षमता वाले पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देकर अत्यधिक भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों पर दबाव कम करने के सरकार के लक्ष्य में किस प्रकार योगदान देती है;

(ग) इस योजना की प्रगति की आवधिक समीक्षा और निगरानी के लिए कौन-सा तंत्र स्थापित किया गया है जिससे समय पर कार्य पूर्णता और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित हो सके; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत विकास में महिलाओं, आदिवासी समुदायों और हाशिए पर रहने वाले समूहों को पर्यटन अवसंरचना और सेवाओं में सहभागिता और लाभ प्रदान करके इसे समावेशी कैसे बनाया गया है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश में 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) - वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास' नामक योजना के तहत 3295.76 करोड़ रुपये की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करना और उनकी वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग तथा विपणन करना है।

इस योजना के तहत परियोजनाओं की पहचान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, गंतव्य की पर्यटन संबंधी क्षमता और पर्यटकों के आगमन हेतु उनकी तैयारी का आकलन करने के लिए निर्धारित मापदंडों पर उनकी जांच; जैसे पर्यटक स्थल तक कनेक्टिविटी, पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यटक वहन क्षमता, स्थिरता संबंधी उपाय, स्थायी संचालन एवं प्रबंधन, परियोजना का प्रभाव और निर्मित वैल्यू, पर्यटन संबंधी विपणन योजनाएं आदि तथा योजना दिशानिर्देशों

में विस्तृत संस्थागत कार्यढांचे के अनुसार की गई थी। यह योजना दिशानिर्देश राज्य सरकारों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय हितधारकों और स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं।

इन स्वीकृत परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित और प्रबंधित किया जाता है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर एसएएससीआई योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है और राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

*****